पंजीकरण पुस्तिका-2016

मझोला योजना

मझोला योजना सं0–4, भाग–2, मुरादाबाद

स्ववित्तपोषित आवासीय योजना

पंजीकरण प्रारम्भ 15 मार्च, 2016 से 15 अप्रैल, 2016

कार्यालय प्रयोग हेतु

IS 15700 : 2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

Website : http://www.upavp.com. E-mail:upavp@sancharnet.in

भारतीय मानक ब्यूरो IS SQMS

योजना के मुख्य आकर्षण

मझोला योजना सं0-4 (भाग-2), मुरादाबाद

योजना दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राज मार्ग एन0 एच0-24 पर स्थित, मुरादाबाद शहर से जुड़ी, रेलवे स्टेशन से लगभग 3 कि0मी0 तथा बस अड्डे से लगभग 4 कि0मी0 दूरी पर है।

- प्रस्तावित फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण विकसित मझोला योजना सं0-4, भाग-2 के सेक्टर-9ए में किया जायेगा, जो कि दिल्ली-मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है।
- लोकेशन सर्किट हाउस व राही होटल के सन्निकट।
- सामान्य जन सुविधाओं, जन यातायात, पेय जल एवं विद्युत व्यवस्था से युक्त।
- पर्याप्त वृक्षारोपण व विकसित पार्कों की व्यवस्था, योजना में लगभग 6 एकड़ में हरित क्षेत्र के साथ तालाब (पिकनिक स्पॉट)।
- भवनों का निर्माण भूकम्प रोधी संरचना / आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर पर आधारित है।
- उक्त भवनों पर ऋण की सुविधा बैंको के माध्यम से उपलब्ध है।
- लगभग 4000 वर्ग मी0 में थीम पार्क का निर्माण स्थल के सन्निकट प्रस्तावित है।
- आधुनिक टेक्नोलोजी पर एस0टी0पी0 निर्माणधीन है।
- सुरक्षा की दृष्टि से फ्लैटस के चारो ओर वाउन्ड्रीवाल एवं गेट का निर्माण प्रस्तावित है।
- दैनिक उपभोग की आवश्यकतानुसार दुकानों की उपलब्धता।

एक परिचय

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

(अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।

(स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।

(द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

(ध) केन्द्र / राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।

(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

(फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं से वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे–विद्युत– आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके।

परिषद जन–साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है। परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

FRONT ANGULAR VIEW OF 1 BHK. FLAT

FRONT ANGULAR VIEW OF 2 BHK. FLAT

1 BHK

UNIT PLAN
1 BHK

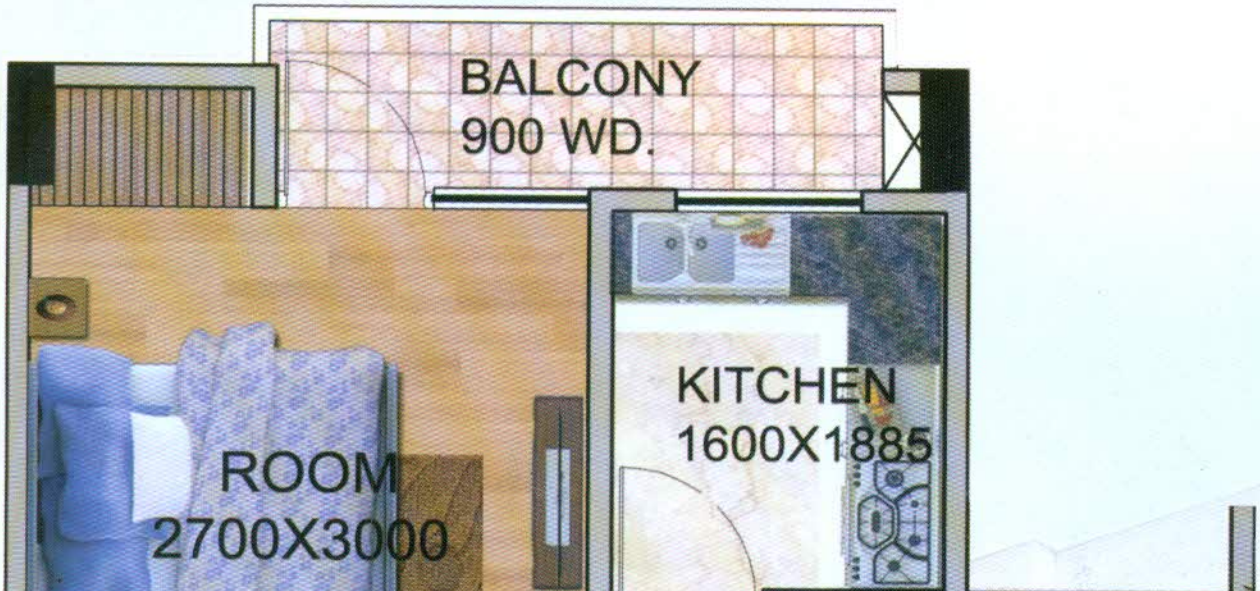

CLUSTER

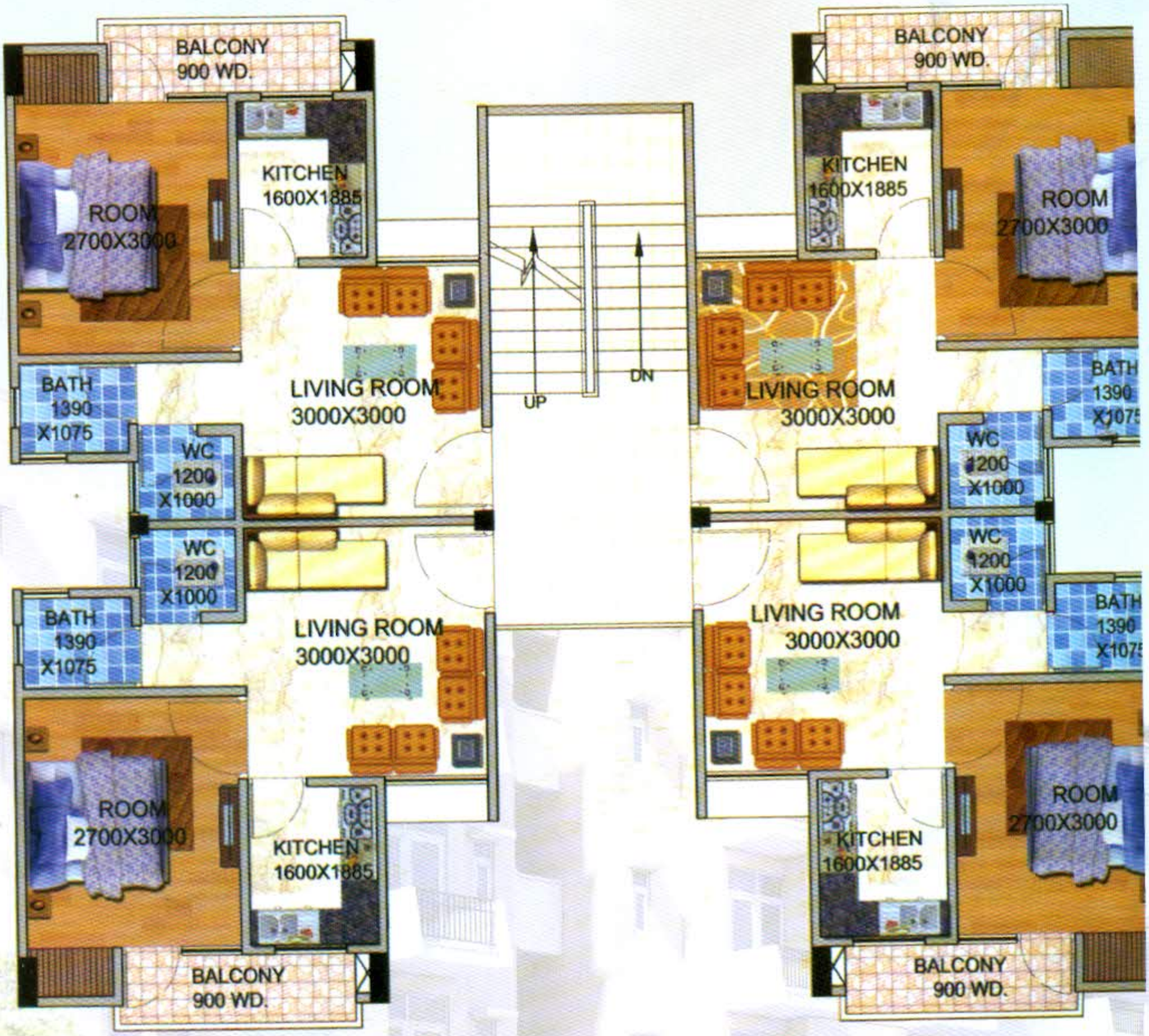

1 BHK CLUSTER PLAN

UNIT AREA- 29.76 Sqmt.

SUPER AREA- 34.07 Sqmt.

FAR AREA - 33.27 Sqmt

PLAN (1 BHK)

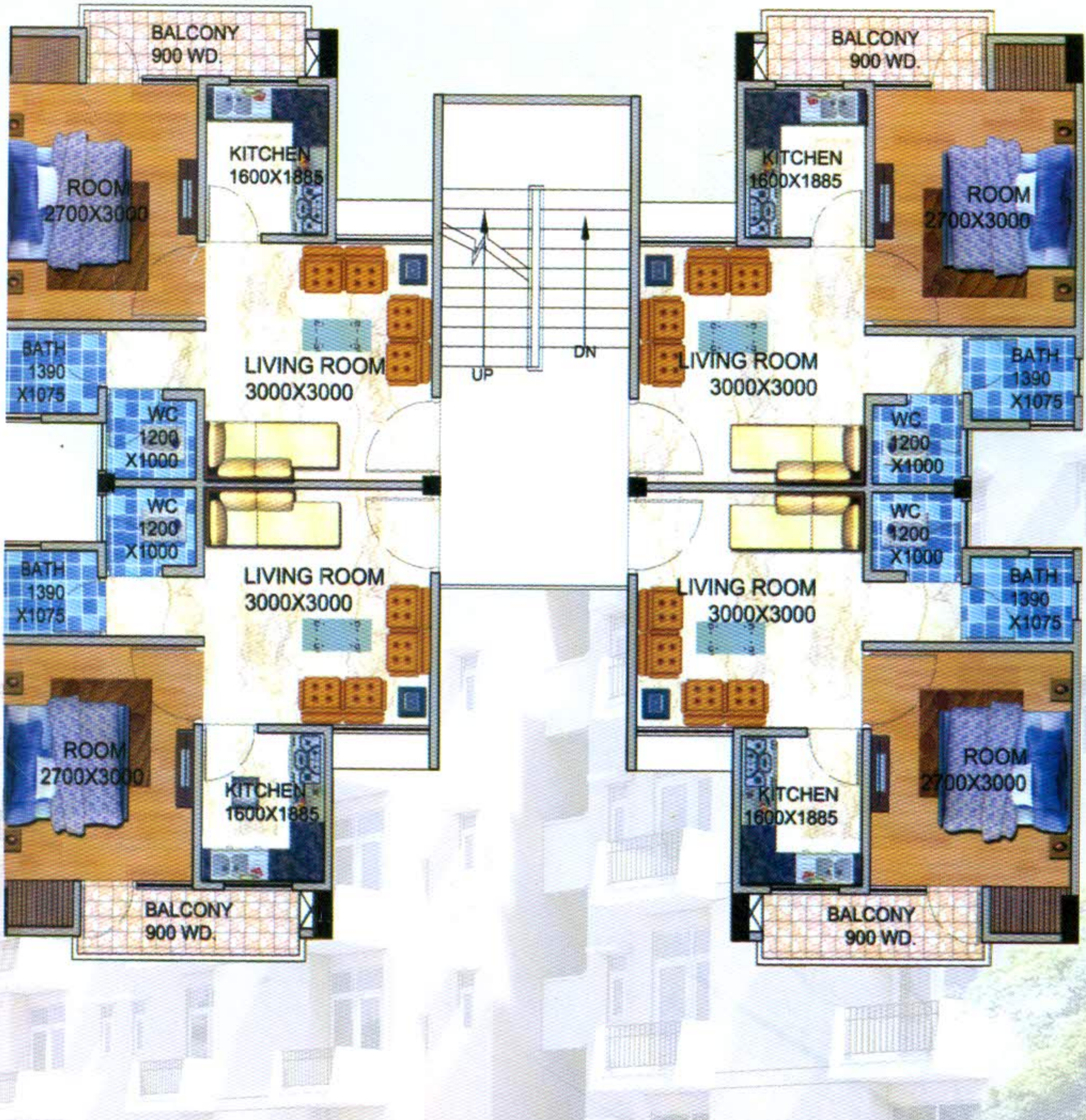

BALCONY
900 WD.
KITCHEN
1600X1885
ROOM
2700X3000
LIVING ROOM
3000X3000
BATH
1390
X1075
WC
1200
X1000
UP
DN

2 BHK

UNIT PLAN
2 BHK

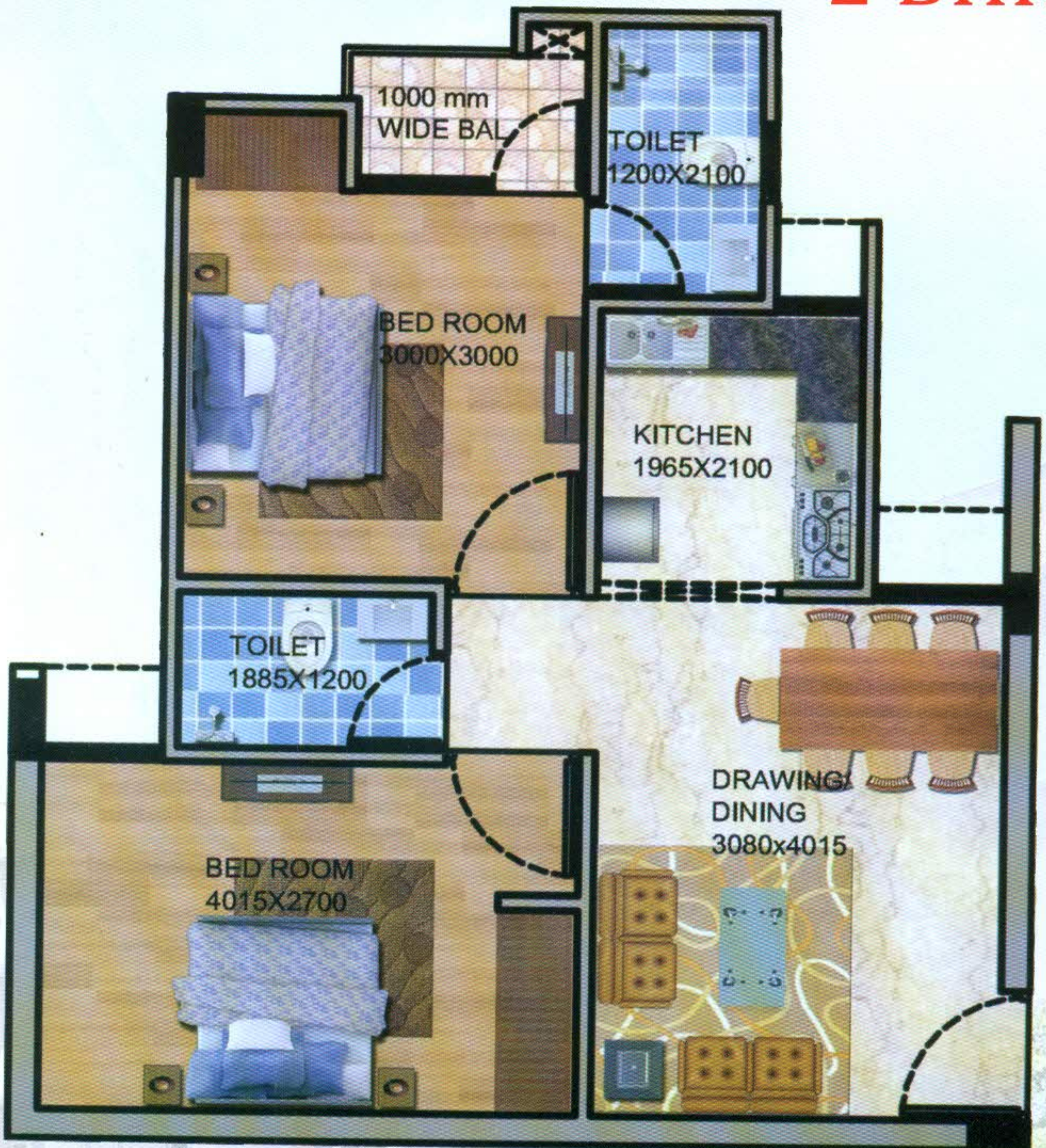

CLUSTER

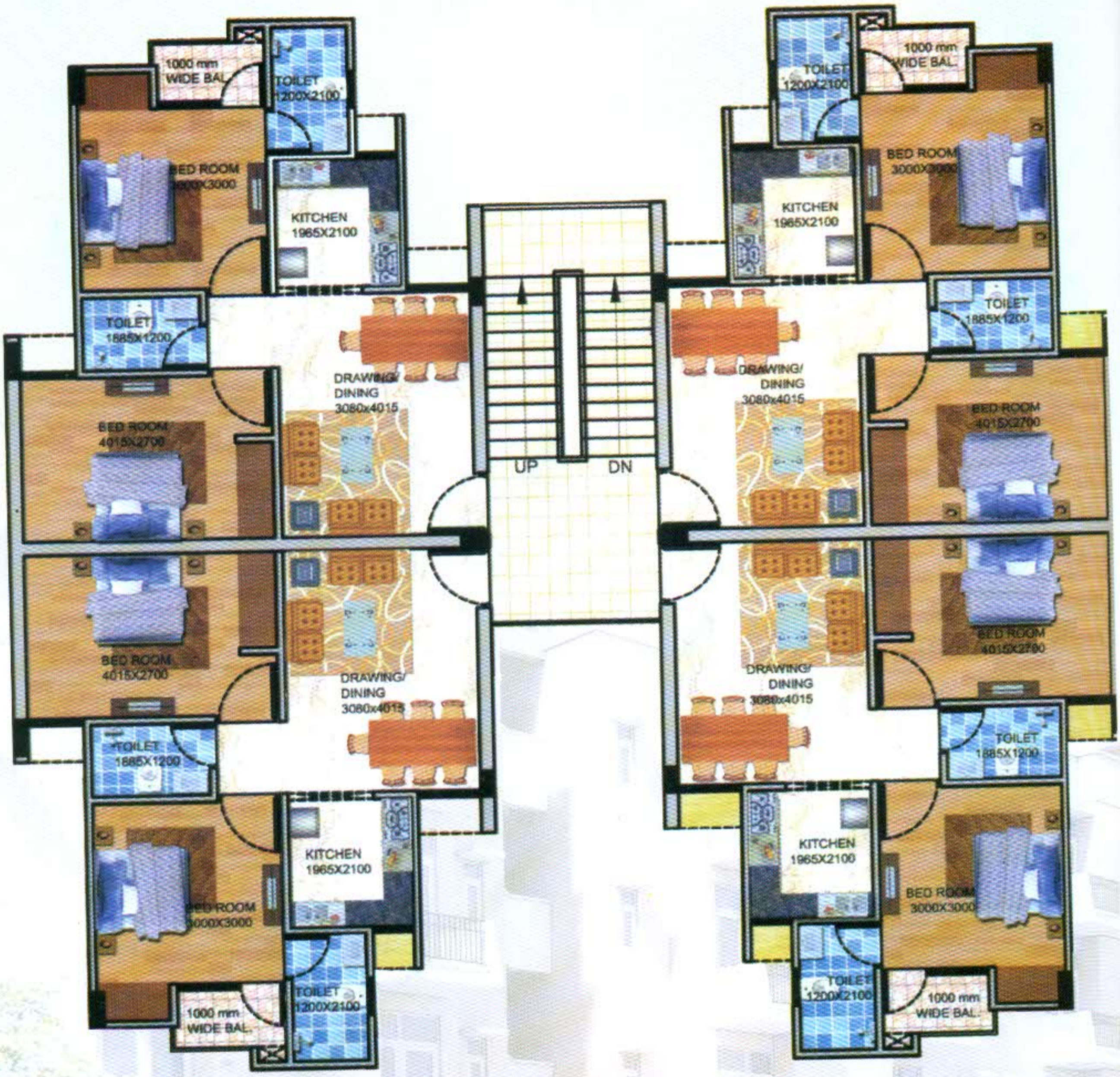
1000 mm WIDE BAL.
TOILET 1200X2100
BED ROOM 3000X3000
KITCHEN 1965X2100
TOILET 1885X1200
DRAWING/ DINING 3080x4015
BED ROOM 4015X2700
BED ROOM 4015X2700
DRAWING/ DINING 3080x4015
TOILET 1885X1200
KITCHEN 1965X2100
BED ROOM 3000X3000
1000 mm WIDE BAL.
TOILET 1200X2100
UP
DN
TOILET 1200X2100
1000 mm WIDE BAL.
BED ROOM 3000X3000
KITCHEN 1965X2100
TOILET 1885X1200
DRAWING/ DINING 3080x4015
BED ROOM 4015X2700
BED ROOM 4015X2700
DRAWING/ DINING 3080x4015
TOILET 1885X1200
KITCHEN 1965X2100
BED ROOM 3000X3000
TOILET 1200X2100
1000 mm WIDE BAL.

PLAN (2 BHK)

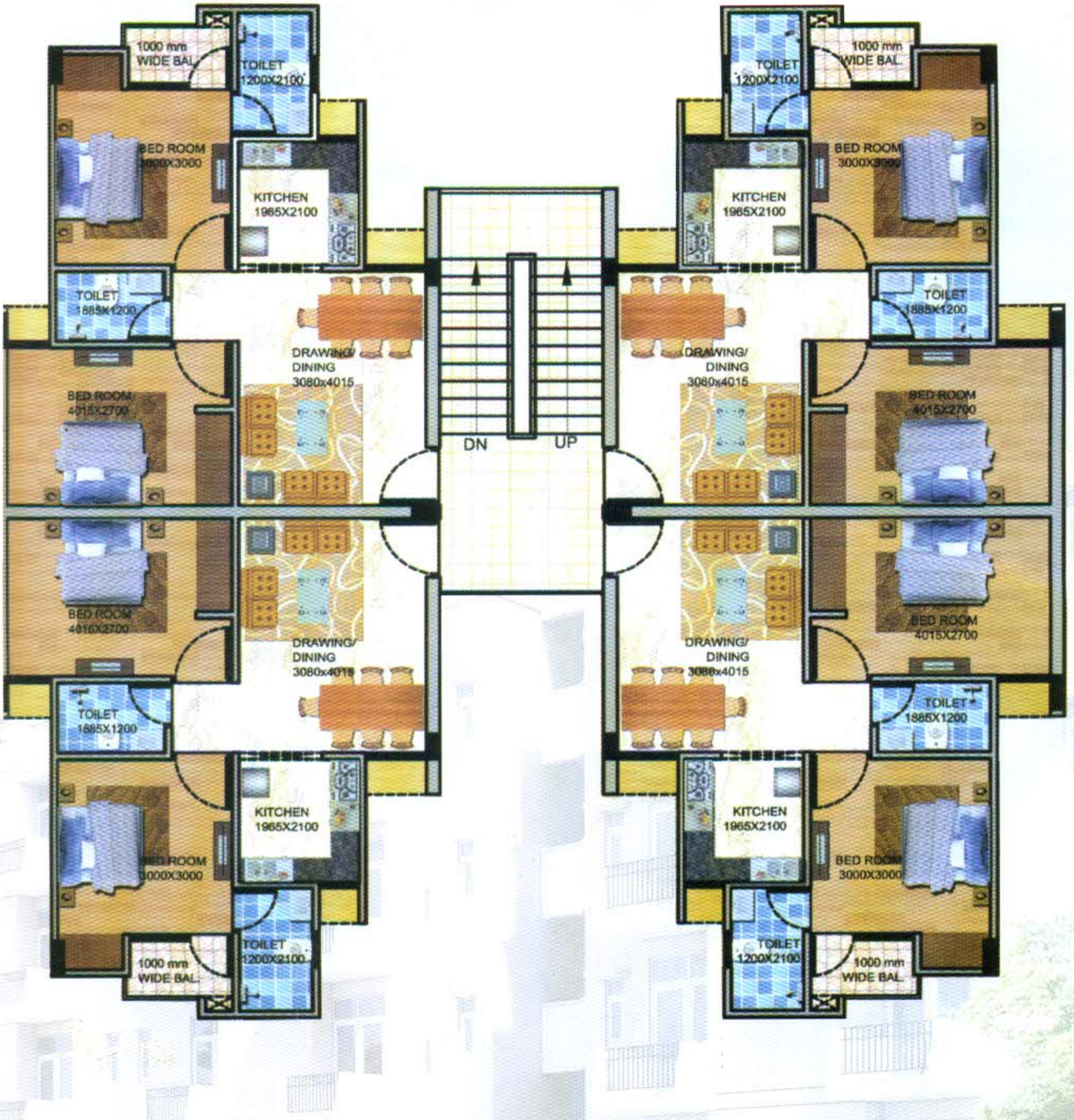
1000 mm WIDE BAL.
TOILET 1200X2100
BED ROOM 3000X3000
KITCHEN 1965X2100
TOILET 1885X1200
DRAWING/ DINING 3080x4015
BED ROOM 4015X2700
DN
UP
1000 mm WIDE BAL.
TOILET 1200X2100
BED ROOM 3000X3000
KITCHEN 1965X2100
TOILET 1885X1200
DRAWING/ DINING 3080x4015
BED ROOM 4015X2700
BED ROOM 4015X2700
DRAWING/ DINING 3080x4015
TOILET 1885X1200
KITCHEN 1965X2100
BED ROOM 3000X3000
TOILET 1200X2100
1000 mm WIDE BAL.
BED ROOM 4015X2700
DRAWING/ DINING 3080x4015
TOILET 1885X1200
KITCHEN 1965X2100
BED ROOM 3000X3000
TOILET 1200X2100
1000 mm WIDE BAL.

Isometric View

मझोला योजना सं0 4,भाग–2, मुरादाबाद के सेक्टर–7ए, में एक मंजिला भवन

72/162 TYPE RESIDENCE

मझोला योजना सं0 4,भाग–2,
मुरादाबाद के सेक्टर–7ए,
में एक मंजिला भवन

Building Plan

72/162 TYPE RESIDENCE

मझोला योजना सं-4, भाग-2,

मुरादाबाद के सेक्टर-7ए में 72/162 प्रकार के एक मंजिला भवन

A. भवनों का विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	भवन का प्रकार	मंजिले	भवनों की संख्या	प्लिनथ एरिया (वर्ग मी0 में)	मानक भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	प्राविधान
1.	72/162	एक मंजिला	61	72.00	162.00	1 गेस्ट रूम, 1ड्राईंग रूम, 1 बेडरूम 1 ड्राइनिंग लॉबी, 1 किचन एवं 1 टॉयलेट

B. भवनों की विशिष्टियाँ

1. सेमीफिनिश्ड भवनों में केवल बाहरी दरवाजे एवं खिड़कियों के फ्रेम ग्रिल सहित दिये जायेंगे, जिससे भवन बन्द हो सके।
2. फाउन्डेशन का प्राविधान डिजाईन के अनुसार किया जायेगा।
3. भूकम्प रोधी प्राविधान भी किये जायेंगे।

C. मुख्य आकर्षण

योजना दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राज मार्ग एन0 एच0-24 पर स्थित, मुरादाबाद शहर से जुड़ी, रेलवे स्टेशन से लगभग 3 कि0मी0 तथा बस अड्डे से लगभग 4 कि0मी0 दूरी पर है।

- प्रस्तावित फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण विकसित मझोला योजना सं0-4, भाग-2 के सेक्टर-9ए में किया जायेगा, जो कि दिल्ली-मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है।
- लोकेशन सर्किट हाउस व राही होटल के सन्निकट।
- सामान्य जन सुविधाओं, जन यातायात, पेय जल एवं विद्युत व्यवस्था से युक्त।
- पर्याप्त वृक्षारोपण व विकसित पार्कों की व्यवस्था, योजना में लगभग 6 एकड़ में हरित क्षेत्र के साथ तालाब (पिकनिक स्पॉट)।
- योजना में ईको पार्क प्रस्तावित है।

परियोजना का विवरण

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा **मझोला योजना सं0 4 भाग-2 मुरादाबाद के सेक्टर -9ए में स्ववित्तपोषित योजना 2016** '' के अधीन स्टिलट + चार मंजिले आवासीय परियोजना में 1BHK एवं 2 BHK के कुल 736 फ्लैट्स का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परियोजनाओं के अर्न्तगत प्रस्तावित फ्लैट्स का विवरण, पंजीकरण मूल्य एवं विशिष्टियां निम्नवत् हैं:

फ्लैट्स का विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	फ्लैट का प्रकार	फ्लैट्स की संख्या	सुपर एरिया वर्ग मी0 में	प्राविधान
1.	1BHK	288	34.07	1 लिविंग रूम, 1 बेडरूम, 1 किचन, 1 डब्लू0सी0, 1 बाथरूम एवं 1 बालकनी
2.	2 BHK	448	56.11	1 लिविंग रूम, 2 बेडरूम, 1 किचन, 2 टायलेट, एवं 1 बालकनी

नोटः-

पंजीकरण धनराशि हेतु बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक '' **उ0 प्र0आवास एवं विकास परिषद**'' के नाम जो मुरादाबाद शहर में देय हो, होना चाहिये।

मझोला योजना सं0 भाग-2 मुरादाबाद के फ्लैट्स एवं पंजीकरण धनराशि व किश्तों का विवरण

भुगतान का विवरण

क्र स.	फ्लैट का प्रकार	मंजिले	फ्लैट्स की संख्या	सुपर एरिया सुपर प्लिंथ एरिया (व0मी)	कुल भूमि मूल्य	भवन का अनुमानित निर्माण मूल्य	बाउण्ड्रीवॉल का अनुमानित मूल्य प्रति भवन	अनुमानित विक्रय मूल्य (रू0 लाख में)	पंजीकरण धनराशि रू0 हजार में)	चयन के पश्चात 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (5 प्रतिशत)	चयन के उपरान्त आगामी माह से देय 7 त्रैमासिक किश्ते
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1BHK	Stilt+4	288	34.07	698584.00	703889.00	4500.00	14.07	28000.00	70,000.00	187000.00
2	2BHK	Stilt+4	448	56.11	1150501.00	1159237.00	7000.00	23.17	46000.00	1,15,000.00	308,000.00

नोट–

1. उक्त परियोजना के अपर ग्राउण्ड तल के फ्लैट के आवंटी से 3 प्रतिशत, प्रथम तल के फ्लैट से 2 प्रतिशत एवं द्वितीय तल के आवंटी से फ्लैट के मूल्य का 1 प्रतिशत लोकेशन चार्ज लिया जायेगा।
2. उपरोक्त कालम 9 में अंकित भवन का मूल्य अनुमानित है परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम मूल्य देय होगा।
3. उपलब्धता के आधार पर पार्किंग हेतु आवंटी से निम्नानुसार धनराशि अतिरिक्त ली जायेगी।

1. Covered car parking for 1BHK and 2BHK Flats @ Rs. 175000.00
2. Open Car parking for 1BHK and 2 BHK Flats @ Rs. 100000.00

5. भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क एवं सेवा कर अलग से देय होगा।
6. अन्य नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका के अनुरूप होंगी।

भुगतान का विवरण

मझोला योजना सं0-4, भाग-2, मुरादाबाद के सेक्टर- 7ए में 72/162 प्रकार के एक मंजिला भवन

क्र स.	भवन का प्रकार	मंजिले	भवनों की संख्या	प्लिन्थ एरिया (वर्ग मी0 में)	कुल भूमि मूल्य	भवन की का अनुमानित निर्माण मूल्य	अनुमानित विक्रय मूल्य (रू0 लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रू0 हजार में) (10 प्रतिशत)	चयन के पश्चात 30 दिन के अन्दर देय धनराशि	चयन के उपरान्त आगामी माह से देय 6 त्रैमासिक किश्तें प्रत्येक किश्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	72 / 162	एक मंजिला	61	72	2835000.00	1256000.00	40.91	4,10,000	5,31,000	5,25,000

नोट–

1. कालम 8 में भवन का अंकित मूल्य अनुमानित है निर्माण कार्य पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार मूल्य देय होगा।
2. भवनों का सूचित क्षेत्रफल मानक के अनुसार है जो स्थल के अनुसार घट –बढ़ सकता है, जिसका भुगतान तद्नुसार देय होगा।
3. भूमि मूल्य पर 12% फ्री होल्ड चार्जेज, सर्विसटैक्स आदि मूल्य में शामिल नहीं है जो अतिरिक्त देय होगा।
4. कार्नर की सम्पत्ति होने पर 10% कार्नर चार्जेज अतिरिक्त देय होगा।

फ्लैट्स की विशिष्टियाँ

विशिष्टियों का	स्ववित्तपोषित योजना 2016
का विवरण	**1BHK + 2 BHK TYPE** फ्लैटस्
फ्लैटस् के निर्माण की पद्धति	आर0 सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर
फर्श	
(अ) कमरे	सिरेमिक टाईल्स
(ब) किचन	फर्श में एन्टी स्किड सिरेमिक टाईल्स, कुकिंग प्लेटफार्म पर ग्रीन मार्बल एवं दीवारों पर कुकिंग प्लेटफार्म से 0.60 मी. ऊंचाई तक सिरेमिक टाइल।
(स) ट्वायलेट / बाथरूम	फर्श में एन्टी स्किड सिरेमिक टाईल्स एवं दीवारों पर 1.50 मी. ऊंचाई तक सिरेमिक टाइल्स।
(द) डब्लू0 सी0	फर्श में ऐन्टी स्किड सिरेमिक एवं दीवारों पर 0.60 मी. ऊँचाई तक सिरेमिक टाईल्स।
कॉमन एरिया	सिरेमिक टाईल्स
स्टेयर केस	कोटा स्टोन फलोरिंग
डोर फ्रेम	बाहरी दरवाजे-एम.एस. एंगल आयरन (डबल पताम) व शेष एम.एस. एंगल आयरन (सिंगल पताम)
विन्डो फ्रेम व विन्डो शटर	एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम विन्डो फ्रेम एवं शटर विद प्लेन ग्लास
डोर शटर	फ्लश डोर शटर्स
डोर एवं विन्डो फिटिंगस	आई. एम. आई. मार्क एल्यूमिनियम फिटिंग्स
आन्तरिक जलापूर्ति	यू.पी.वी.सी. पाइप, सी.पी. फिटिंग्स, किचन में स्टेनलेस स्टील सिंक
आन्तरिक जलापूर्ति	प्रथम ट्वायलेट में उड़ीसा पैन (लो लेवल पी.वी.सी. सिस्टर्न के साथ), द्वितीय ट्वायलेट की दशा में यूरोपियन शीट (लो लेवल पी.वी.सी) सिस्टम के साथ
विद्युत कार्य	आई. एस. आई. मार्क अग्निरोधक कॉपर वायरिंग पियानों टाइप स्विच एवं फ्लश टाइप साकेट के साथ।
फिनिशिंग	बाहरी सतह पर वेदर कोट फिनिश, आन्तरिक सतह पर ऑयल बाउण्ड डिस्टेम्पर दरवाजों पर एनामिल पेंट।

आवश्यक विवरण:-

1. उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। फ्लैट्स/भवनों का निर्माण होने के दौरान आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार निर्धारित मूल्य देय होगा। पंजीकरण धनराशि एवं किश्तों की मांग न्यूनतम अनुमानित लागत पर की गयी है। फ्लैट्स का निर्माण कार्य 24 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम मूल्य देय होगा। सम्पत्ति के निर्धारित वर्तमान अनुमानित मूल्य में अपरिहार्य कारणों जैसे भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने पर पूर्व निर्धारित मूल्य में वृद्धि होने आदि कारणों से मूल्य में बढ़ोत्तरी सम्भव है।
2 भवनों के टाइप डिजाइन व ले आउट में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।
3. प्रत्येक आवंटी को भवन के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही योजना की भूमि में फ्री होल्ड चार्ज, पात्रता चयन तिथि का तत्समय प्रचलित भूमि दर पर देना होगा।
4. 1 बी0एच0के0 एवं 2 बी0एच0के0 हेतु उपलब्धता के आधार पर आवंटी को कवर्ड एवं खुली पार्किंग स्पेस आवंटित किया जायेगा। कवर्ड पार्किंग हेतु 175000.00 एवं खुली पार्किंग हेतु 100000.00 लिया जायेगा।
5. फ्लैट्स परिसर का रखरखाव प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक परिषद द्वारा किया जायेगा उसके उपरांत ''रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी'' द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
6. भवन की डिजाइन में आवश्यकतानुसार आंशिक परिर्वतन किया जा सकता है, जो आवंटी को मान्य होगा।
7. फ्लैट्स का भौतिक कब्ज़ा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को ''कापर्स फण्ड'' मे निर्धारित धनराशि पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व जमा करनी होगी। यह धनराशि 1 बी0एच0के0 हेतु रू0– 25000.00 एवं 2 बी0एच0के0 हेतु रू0–50000.00 है। योजना में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से दो वर्ष तक सामान्य सेवाओं के मेन्टीनेन्स का कार्यपरिषद द्वारा दिया जायेगा तदपश्चात आवंटियों की उपरोक्त कापर्स फण्ड की अवशेष बची धनराशि, रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी को हस्तगत कर दी जायेगी। तथा सोसायटी द्वारा उक्त योजना की सामान्य सुविधाओं को बनाये रखने हेतु आने वाला व्यय आवंटियों की समिति को अपने श्रोतों से करना होगा। निर्धारित रख–रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से प्रति माह आवंटी को देना होगा।
8. ग्राउण्ड फ्लोर के आवंटी से 3 प्रतिशत प्रथम तल के आवंटी से 2 प्रतिशत एवं द्वितीय तल के आवंटी से 1 प्रतिशत लोकेशन चार्ज अतिरिक्त लिया जायेगा।
9. फ्लैट्स/भवनों को विक्रय मूल्य अनुमानित है, परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार भवन का मूल्य देय होगा।
10. प्रत्येक आवंटी को भवन में समाहित भूमि का मूल्य, पात्रता चयन तिथि पर लागू भूमि दर के अनुसार देना होगा। भूमि मूल्य पर नियमानुसार फ्री होल्ड चार्ज अतिरिक्त देय होगा।
11. सर्विस टैक्स नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा, जिसका भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
12. यदि भविष्य में राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अलग से कोई टैक्स जैसे वैट, जी0एस0टी0 आदि आरोपित किया जाता है तो वह भी आवंटी पर बाध्यकारी होगा।

प्राविधान/शर्तें:

1. उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। फ्लैट्स का निर्माण 24 माह में तथा भवनों का निर्माण 18 माह में किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अंतिम मूल्य देय होगा। सम्पत्ति के वर्तमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में विभिन्न कारणों यथा–भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि आदि कारणों से पूर्व निर्धारित मूल्य में बढ़ोत्तरी सम्भव है।
2. भवनों की टाइप डिजाइन व लेआउट में आवश्यकतानुसार आंशिक परिर्वतन किया जा सकता है।
3. अपर ग्राउण्ड तल, प्रथम तल एवं द्वितीय के आवंटियों से लोकेशन चार्जेज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 3,2, व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य लिया जायेगा।
4. आवंटियों को उपलब्धता के आधार पर रू0 1.75 लाख कवर्ड स्टिल्ट कार पार्किंग, एवं ओपेन कार पार्किंग हेतु रू0 1.00 लाख अतिरिक्त देना होगा। पार्किंग का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जायेगा।
5. फ्लैट्स का भौतिक कब्ज़ा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को "कापर्स फण्ड" मे निर्धारित धनराशि पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व जमा करनी होगी। फ्लैटस में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये भौतिक कब्जा की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण कार्य परिषद द्वारा किया जायेगा तद्पोरान्त आवंटियों की उपरोक्त कॉपर्स फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित आवंटियों की वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दी जायेगी। तथा समिति को अनुरक्षण अपने श्रोतों से करना होगा। प्रत्येक आवंटी वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
6. फ्लैट्स परिसर का रखरखाव प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक परिषद द्वारा किया जायेगा उसके उपरांत "रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी" द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
7. सामान्य सेवाओं जैसे कैम्पस लाइट, ट्यूबवेल आपरेशन, सफाई, विद्युत बिल आदि के रखरखाव हेतु फ्लैट के आवंटी को कब्जा प्राप्त करने की तिथि से रू0 1.25 प्रतिवर्ग फिट (सुपर एरिया) प्रतिमाह की दर से रखरखाव शुल्क अतिरिक्त देना होगा। जिसे बाद में परिषद/सोसइटी को कम या अधिक करने का अधिकार होगा।
8. फ्लैट्स परिसर हेतु बाउन्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है। जिसकी लागत उक्त मूल्य में सम्मिलित है।
9. राज्य/भारत सरकार द्वारा समय–समय पर लागू किये गये विभिन्न प्रकार के टैक्स यथा–वैट, सर्विस टैक्स, जी0एस0टी0, लेवर सेस आदि, रजिस्ट्री व्यय तथा भविष्य में उक्त टैक्सों की दरों में परिर्वतन होने की दशा में अन्तर धनराशि, आवंटी द्वारा वहन की जायेगी।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

3.3 आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

3.4 भवन हेतु आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार जिसमें पति पत्नी एवं अवयस्क बच्चें सम्मिलित है के नाम मुरादाबाद नगर में कोई आवासीय भवन/भू–खण्ड नहीं होना चाहिए। फ्लैट्स हेतु उक्त शर्तें लागू नहीं है।

4. पंजीकरण के नियम

4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशो का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि / कटिंग न होने पायें।

4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण पठनीय रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चयनित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।

4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति–पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति–पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोडने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाट्री ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड वाउचर पर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय सेक्टर 10 मझोला योजना सं0 4 भाग–2, मुरादाबाद में आवेदन करने पर नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी। ऐसे निरस्त पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा।

4.5 यदि कोई आवेदक चयनित हो जाता है तो मांग पत्र निर्गमन तिथि से तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड वाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ परिषद के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय सेक्टर 10, मझोला योजना संख्या–4, भाग–2, मुरादाबाद में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।

4.6 भवन / फ्लैटस निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम निर्धारित किश्त जमा करने के 6 माह बाद तक भी परिषद भवन / फ्लैट्स आवंटित नहीं कर पाता है तो आवंटी की जमा धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने अथवा सम्पत्ति के विरूद्व अन्तिम किश्त देय होने के दिनांक के अंतिम दिवस जो बाद में हो, के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

4.7 यदि किन्ही कारणो से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों / आवंटियो की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

4.8. इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक आवेदक को परिषद सम्पत्ति देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती हैं तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

5. भुगतान का तरीका

1. मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित 2% अतिरिक्त ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
3. नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त / कर / शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
4. पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक **''उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद''** लेखाशीर्षक का **मुरादाबाद** पर देय हो, **मांग–पत्र** में अधिकृत बैंक शाखा में पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, भवन / फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर जमा करना होगा।

6. आवंटन नियम :

6.1 परिषद / शासनादेशो के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट / सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर लाट्री के आधार पर पात्र आवेदको का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी। तथा सफल आवेदकों को मांग पत्र जारी किया जायेगा।

6.3 आवेदको की संख्या उपलब्ध भवनों / फ्लैटस की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेगें। तथा उन्हें मांग पत्र जारी किया जायेगा।

6.4 समस्त चयनित आवेदक / पात्र समान होगें। चयनित हो चुके आवेदकों द्वारा ग्रुपिंग हेतु आवेदन करने पर सम्पत्ति की उपलब्धता की स्थिति में ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। दो आवेदकों की सीमा तक की ग्रुपिंग मान्य होगी। भवनों / फ्लैट्स के तलों का निर्धारण लॉटरी ड्रॉ द्वारा किया जायेगा जो सम्पत्ति आवंटित होगी उसका वास्तविक मूल्यांकन का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा।

6.5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ–साथ समायोजित किया जायेगा। लाट्री में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

6.6 सामान्यतः पंजीकरण / आवंटित सम्पत्ति का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों / परिस्थितियों में आवंटी की प्रार्थना पर आवंटित सम्पत्ति का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन सक्षम स्तर द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन सम्पत्ति का विक्रय विलेख–निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।

6.7 किश्तों की देय सम्पूर्ण धनराशि जमा होने की स्थिति में आवेदक को भवनों के नम्बरिंग ड्रा में सम्मिलित किया जायेगा, भवन आवंटित होने के पश्चात वास्तविक मूल्य के आधार पर भवन का प्रदेशन –पत्र जारी किया जायेगा।

आरक्षण

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के फ्लैट्स/भवनों में आरक्षण शासन/ परिषद के अनुसार प्रभावी होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार लागू है।

क्र. सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियातें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1.	अनुसूचित जाति	21	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अर्न्तगत उल्लिखित जातियां ही पात्र होंगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है। वर्तमान समय में उ0प्र0 में विद्यमान जिलों से निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।
2.	अनुसूचित जनजाति	2	–तदैव–
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	–तदैव–
4.	मा0 सांसद/विधायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी		(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/ अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है।
			(ब) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5.	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। उ0 प्र0 राज्य की सेवा में तथा उ0प्र0 राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियो एवं अधिकारियों से है।
6.	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र मूलरूप में संलग्न करना है। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हो।

7.	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उसके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी / अधिकृत प्रधिकारी के प्रमाण–पत्र की छाया प्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित। करा कर संलग्न करना है।
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। नेत्रहीन विकलांग को 1 प्रतिशत एवं अन्य विकलांग को 2 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।
9.	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा यथा निर्धारित उसके	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र / सेवा निवृत्त प्रमाण पत्र / पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। इन प्रमाण–पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण–पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

नोटः-

1. उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी को सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेश प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा-

7.1 आरक्षित श्रेणी एवं कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक आरक्षित कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो उसे आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण–पत्र से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति पात्र नहीं माने जायेंगे।

असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

8.1 पात्रता चयन के पश्चात असफल आवेदकों को 45 दिनों के अन्दर बैंक द्वारा सीधे आवेदकों द्वारा दिये गये बैंक एकाउण्ट के माध्यम से धनराशि वापस कर दी जायेगी।

फ्लैट्स का भौतिक कब्जाः-

91. फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 24 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

9.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट / भवन का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट / भवन का पंजीयन / सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प डयूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

9.3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि तक सम्पत्ति का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक भौतिक कब्जा न लेने पर '' उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद'' को सम्पत्ति का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

तथ्यों का छिपाना:

10. यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद'' में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें:-

11.1 योजना आवासीय है। अतः सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण परिर्वधन अनुमन्य नहीं है। उल्लघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय–विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/ परिषद के नियम, आदेश–निर्णय आवंटी पर प्रभावी होगे।

11.2 फ्लैट्स में सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।

11.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/ आवंटित सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण/सम्पत्ति परिर्वतन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र इन्डेमनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिर्वतन अनुमन्य होगा। विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय का अन्तिम निर्णय मान्य होगा।

11.4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अंतिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होगे।

11.5 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्त के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।

11.6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिर्वतन करना पड़ा तो वह आवंटी पर बाध्यकारी होगी।

11.7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र मुरादाबाद होगा।

11.8 परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। फ्लैट्स/भवन के सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। अनुमानित मूल्य से 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।

मझोला योजना सं0-4, भाग-2 मुरादाबाद में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम एवं सेमीफिनिश्ड भवनों हेतु बैंक शाखाओं के नाम व पते जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

केनरा बैंक

क्रमांक	पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने का स्थान	दूरभाष नं0
1.	दिल्ली रोड शाखा, मुरादाबाद	0591-2481501, 2484997
2.	साई काम्प्लैक्स, बुध बाजार शाखा, मुरादाबाद	0591-2321078, 2311614
3.	अमरोहा गेट शाखा, मुरादाबाद	0591-2317346, 2325345
4.	एस.एम.ई., महिला पोलिटेक्निक के सामने, कांठ रोड, मुरादाबाद	0591-2453180
5.	एम.डी.ए, मुरादाबाद	0591-2450835

भारतीय स्टेट बैंक

क्रमांक	पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने का स्थान	दूरभाष नं0
1.	दिल्ली रोड शाखा, मुरादाबाद	9410614123
2.	मुख्य शाखा, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद	9412445760
3.	स्पेशल पी0बी0 ब्रान्च, कांठ रोड, मुरादाबाद	9410048251
4.	स्टेशन रोड, बुद्ध बाजार, मुरादाबाद।	9410012841
5.	गांधी नगर, मुरादाबाद	8057069615

महत्वपूर्ण नोट :-

- असफल आवेदकों की धनराशि की वापसी नोडल शाखाओं द्वारा ही की जायेगी।
- विस्तृत नियम/शर्ते पंजीकरण पुस्तिका से देखी जा सकती है।

मझोला योजना सं04 भाग-2 मुरादाबाद में एस0एफ0एस0-2016 के अधीन 72/162 प्रकार के भवन/ एवं 1BHK एवं 2BHK फ्लैट्स रजिस्ट्रेशन हेतु।

आवश्यक निर्देश

उक्त प्रकार योजनान्तर्गत बहुमंजिलें फ्लैट्स/भवन के ऑन-लाइन पंजीकरण Online Registration करने के क्रम में निम्नलिखित दो चरणों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

प्रथम चरण (Step-1)

आन-लाइन पंजीकरण Online Registration एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान Payment of Registration Amount)

1. आनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.com पर जाकर मुख्यपृष्ठ (Home Page) के लिंक Online Registration for Flats /House पर क्लिक करना होगा।
2. इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंकउक्त प्रकार योजनान्तर्गत बहुमंजिलें फ्लैट्स/भवन के **ऑन-लाइन पंजीकरण"Majhola Youjna No.4 Phase-II Moradabad"** द्वारा करने पर क्लिक करना होगा।
3. आवेदक द्वारा संबंधित योजना/ सम्पत्ति की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर"Apply Online" लिंक पर किया जायेगा।
4. तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से सम्बन्धित मुख्य जानकारी Basic Information यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, इच्छित फ्लैटस आदि विवरण आन-लाइन फीड किये जायेंगे।
5. उक्त प्रकिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा "Submit" बटन पर क्लिक किया जायेगा।
6. "Submit" करने के उपरान्त आवेदक द्वारा "Confirm" करने की दशा में उसे अपने **आन/लाइन पंजीकरण** से संबधित विवरण, यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
7. उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1)ई-रसीद (re-print) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
8. आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घंटे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ Visit Website www.upavp.com & click on link "Online Registration of Flats"/House
- ✓ Click on link "Registration Fee payment" of concerning scheme's webpage.
- ✓ Select payment of category as "Registration" and provide Registration ID, then click on "Submit" button.
- ✓ Provide the required necessary details & click "Submit".
- ✓ After clicking on 'Confirm' button 'State bank MOPS' will be available.
- ✓ Application can close anyone option for making payment.

9. उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अन्तरित होने की दशा में आवेदक को Journal No:/State Bank Collect reference No:/Transaction ID प्रदान किया जायेगा।

नोटः डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "U.P. Avas Evam Vikas Parishad" के पक्ष में जो कि मुरादाबाद शहर पर देय हो होना चाहिए।

द्वितीय चरण (Step-2)

अंतिम रूप से ऑन लाइन फार्म जमा करना (Finally Online Form submission)

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार (Step-1) पंजीकरण धनराशि आवेदन शुल्क जमा करने के 24 घंटे पंजीकरण धनराशि परिषद खाते मे अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट www.upavp.com के लिंक "Online Registration for flats/ Houses" पर जाकर संबंधित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक "Submit Application Details" पर क्लिक किया जायेगा।
- Login Panel के अंतर्गत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आई0डी0, पासवर्ड एवं Journal No./Reference No./Transaction ID भरकर अपना ऑन लाइन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन फार्म मे अपना Scanned कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना ऑन-लाइन पंजीकरण फार्म Recheck करते हुए "Submit" करना होगा।
- ऑन-लाइन रजिस्ट्रेशन फार्म Finally Sumit कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट दो प्रतियों मे प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियों (फोटो आई0डी0 प्रमाण, जाति प्रमाण-पत्र आदि) सहित निम्नाकित पते पर रजिस्र्टड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :-

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
भवन सं0 135, 136 एवं 137, सेक्टर–10
मझोला योजना सं0–2 मुरादाबाद

नोटः-

1. उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क रू0 300/- देकर प्रचार अनुभाग, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से भी प्राप्त की जा सकती है।
2. पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।

आवेदन -पत्र भरने के लिये निर्देश

1. आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले बॉल प्वाईन्ट पेन से भरा जायेगा।

2. आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 6 एवं 7) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं मे अनिवार्य रूप से भरा जायें।

3. अंग्रेजी मे अपेक्षित सूचनायें भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते है।

4. आवेदक केवल अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

5. आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथा स्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र एव एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।

6. एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर एवं अंक) लिखें।

7. नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोडा जाये।

8. आवेदन पत्र में बिन्दु 8 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरूष हेतु "M" एवं महिला हेतु "F" टिक करें। पति पत्नी के संयुक्त आवेदन करने पर H.W.टिक करें।

9. सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में आवेदन फार्म के क्रमांक 5 में किसी एक श्रेणी को टिक करना होगा। एक से अधिक सम्पत्ति श्रेणी में आवेदन स्वीकार नही होगा।

10. आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण मे उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखें उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति मे अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी मे माना जायेगा।

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

आरक्षण श्रेणी	कोड
अनुसूचित जाति	01
अनुचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04

हारिजन्टल आरक्षण	कोड
वर्तमान विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,	B
विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका	
वर्तमानं सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनकें आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वरिष्ठ नागरिक (वृद्धजन)	O

शहर	कोड
मुरादाबाद	087

योजना	कोड
मझोला योजना सं0 4 भाग-2 मुरादाबाद	231

सम्पत्ति श्रेणी	कोड
1BHK फ्लोर	1A
2BHK फ्लैट्स	2A
72/162 सेमीफिनिश्ड SFS भवन	M-7

लिंग	कोड
स्त्री	F
पुरूष	M
संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी)	HW

भुगतान

पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार।

1. बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" लेखाशीर्षक जो मुरादाबाद में देय होगा।
2. संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखों की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण आवेदन पत्र के बिन्दु-13 में दिया जायेगा। अतः इस स्तम्भ में मात्र बैंक ड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है। किन्तु आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाए गये संलग्नों को सावधानी पूर्वक अंकित कर प्रार्थना पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
2. पात्रता ड्रा में असफल होने पर आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नोडल बैंक द्वारा सीधे आवेदनकर्ता को बैंक एकाउन्ट के माध्यम से जमा धनराशि रिफण्ड कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में रिफण्ड के भुगतान मे विलम्ब हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व न होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय न होगा। अतः आवेदन पत्र में आवेदक अपना बैंक एकाउन्ट

नम्बर, आई0एफ0एस0सी0 कोड, बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटि रहित करें। उक्त प्रविष्टि को ध्यान पूर्वक भरें ताकि आपका रिफण्ड गलती के कारण किसी गलत खाते मे न जाने पायें।

3. आवेदन-पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जाये।
4. अपूर्ण आवेदन-पत्र/आवेदन पत्रों मे कटिंग किये हुए आवेदन-पत्रों को निरस्त किया जा सकता है। इस विषय मे कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
5. परिषद से भविष्य मे पत्र व्यवहार के समय चालान संख्या, सम्पत्ति श्रेणी, शहर कोड, तथा चरण अवश्य अंकित करें।
6. आवेदन-पत्र जमा करते समय आवेदन-पत्र की छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु संदर्भ रहे।
7. आवेदन-पत्र के साथ पैन कार्ड एवं पहचान-पत्र (वोटर आई0डी0, डी0एल0, पासपोर्ट आदि) की फोटो प्रति (स्व प्रमाणित) संलग्न करना होगा।
8. तालिका में दर्शाये गये फ्लैट्स/भवनों की संख्या घट बढ़ सकती है जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

योजना के क्रियान्वयन की जानकारी हेतु कार्यालय कार्य दिवस/समय पर निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं

अधीक्षण अभियन्ता, (पंचम वृत्त) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 3सी/124, 125, बौद्ध विहार, मुरादाबाद दूरभाष : 0591-2486673	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-25 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 3सी/118, 119, बौद्ध विहार, मुरादाबाद दूरभाष : 0591-2486897
सम्पत्ति प्रबन्धक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 10/135, 136, 137 बौद्ध विहार, मुरादाबाद दूरभाष : 8795811049 8795810726 8795811238	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-26 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 3 सी 109, 110 बौद्ध विहार, मुरादाबाद दूरभाष : 0591-2487673

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों मे प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होगें :-

आवेदक का परिवार :-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय :-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त स्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का आशय भवन / फ्लैट्स से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना):-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन-पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण-पत्र मे इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि मे पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ0प्र0 राज्य की सेवा में तथा इनके अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति :-

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि / भवन परिषद द्वारा अधिग्रहीत की गयी हो।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं :-

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों मे भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड

भोगा गया हो या कम से कम 10 बेंतो की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता सग्राम मे गोली से घायल हुआ हो या जिसने वीरगति प्राप्त की हो।

(2) जो पेशावर काण्ड मे रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डैन्स लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक से तात्पर्य :-

सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति :-

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है। अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ0प्र0 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1974 की अनुसूची-एक मे विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियिम की अनुसूची-दो मे विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी मे आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नही होगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदकों को उ0प्र0 सरकार में अधीनस्थ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है। जिनकी न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण हो।

परिषद का तात्पर्य:-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान मे सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

भवन के पंजीकृत हेतु

₹10/– के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ-पत्र

समक्ष : आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..
पुत्र/पुत्री/पत्नी...उम्र..........................वर्ष ....
निवासी..शपथ
पूर्वक बयान करता/करती हूँ :-

1. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मुरादाबाद शहर में मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चों के नाम उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत कोई आवासीय भवन/भू-खण्ड नहीं है और उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं हैं।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन आवंटित हो जाता है या क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त परिषद को दूँगा/दूँगी।
4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष .... (पंजीकरण भरते समय की तिथि के पूर्व के वर्ष का उल्लेख करें) मे समस्त स्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय (रू0 ....) थी। जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित सम्बन्धियों की आय सम्मिलित है।
5. मैं.. यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती.......................... ....जो रिश्ते में मेरे/मेरी..हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु वरीयता पर नामित करता/करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री/श्रीमती .... जो मेरे/मेरी.......................................हैं एवं खून के सम्बन्धी है।, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरियता पर नामित करता/करती हूँ।
6. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर परिषद को दिया गया है तो परिषद को मेरे विरूद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 5 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य व सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

फ्लैट के पंजीकृत हेतु

₹10/– के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ-पत्र

समक्ष : आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...
पुत्र/पुत्री/पत्नी...उम्र..........................वर्ष ....
निवासी...शपथ
पूर्वक बयान करता/करती हूँ :-

1. मैं एतदद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।

2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष .... (पंजीकरण भरते समय की तिथि के पूर्व के वर्ष का उल्लेख करें) मे समस्त स्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय (रू0 ....) थी। जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित सम्बन्धियों की आय सम्मिलित है।

3. मैं.. यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती.......................... ....जो रिश्ते में मेरे/मेरी...हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु वरीयता पर नामित करता/करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री/श्रीमती .... जो मेरे/मेरी.....................................हैं एवं खून के सम्बन्धी है।, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरियता पर नामित करता/करती हूँ।

4. मैं एतदद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 3 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर परिषद को दिया गया है तो परिषद को मेरे विरूद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतदद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 3 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य व सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

साईट प्लान

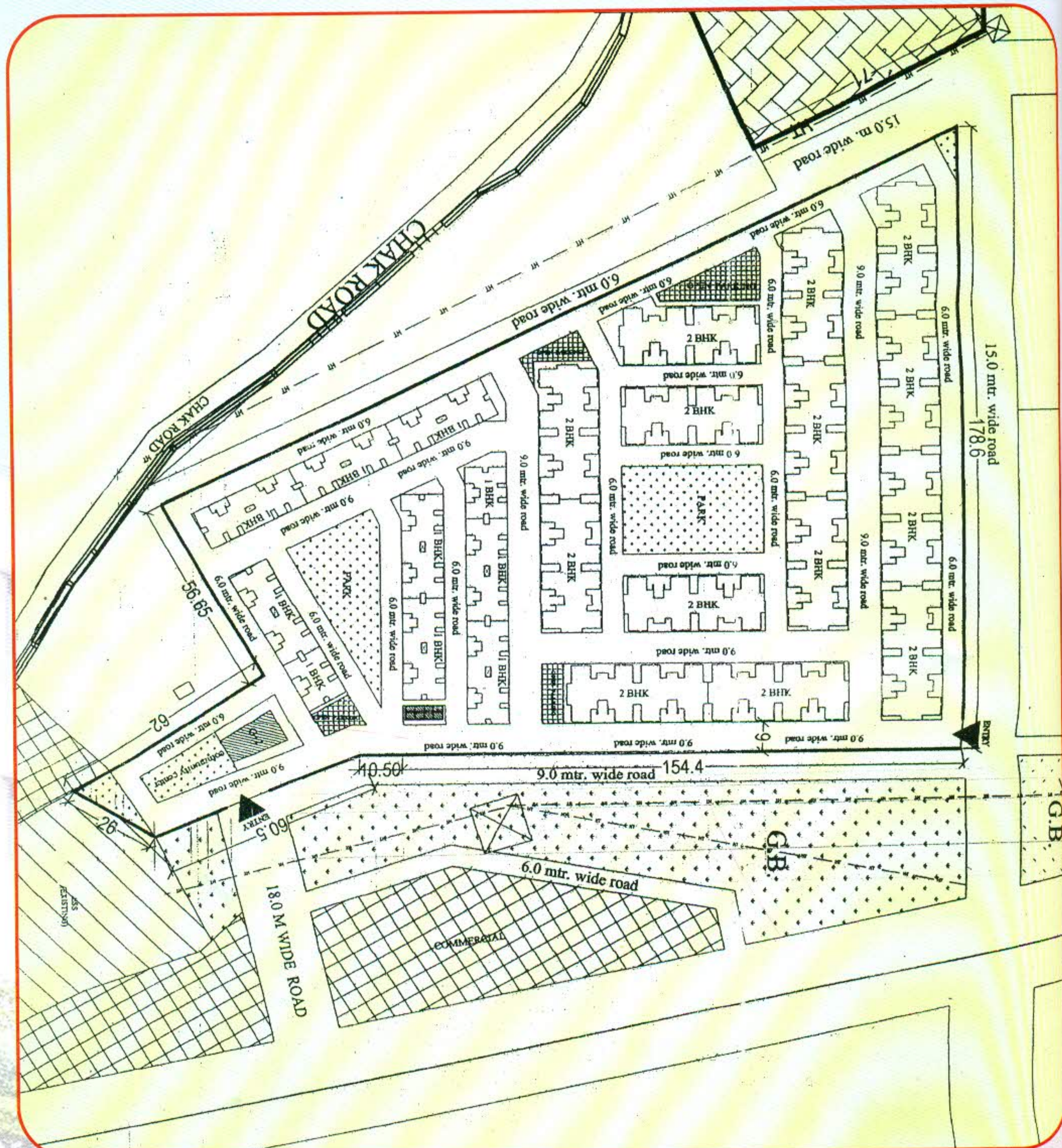
CHAK ROAD
15.0 m. wide road
6.0 mtr. wide road
15.0 mtr. wide road
178.6
9.0 mtr. wide road 154.4
10.50
56.65
62
26
60.5
ENTRY
6.0 mtr. wide road
18.0 M WIDE ROAD
COMMERCIAL
G.B.
PARK
2 BHK
1 BHK

लोकेशन मैप

मझोला योजना

मझोला योजना सं–4, भाग–2, मुरादाबाद

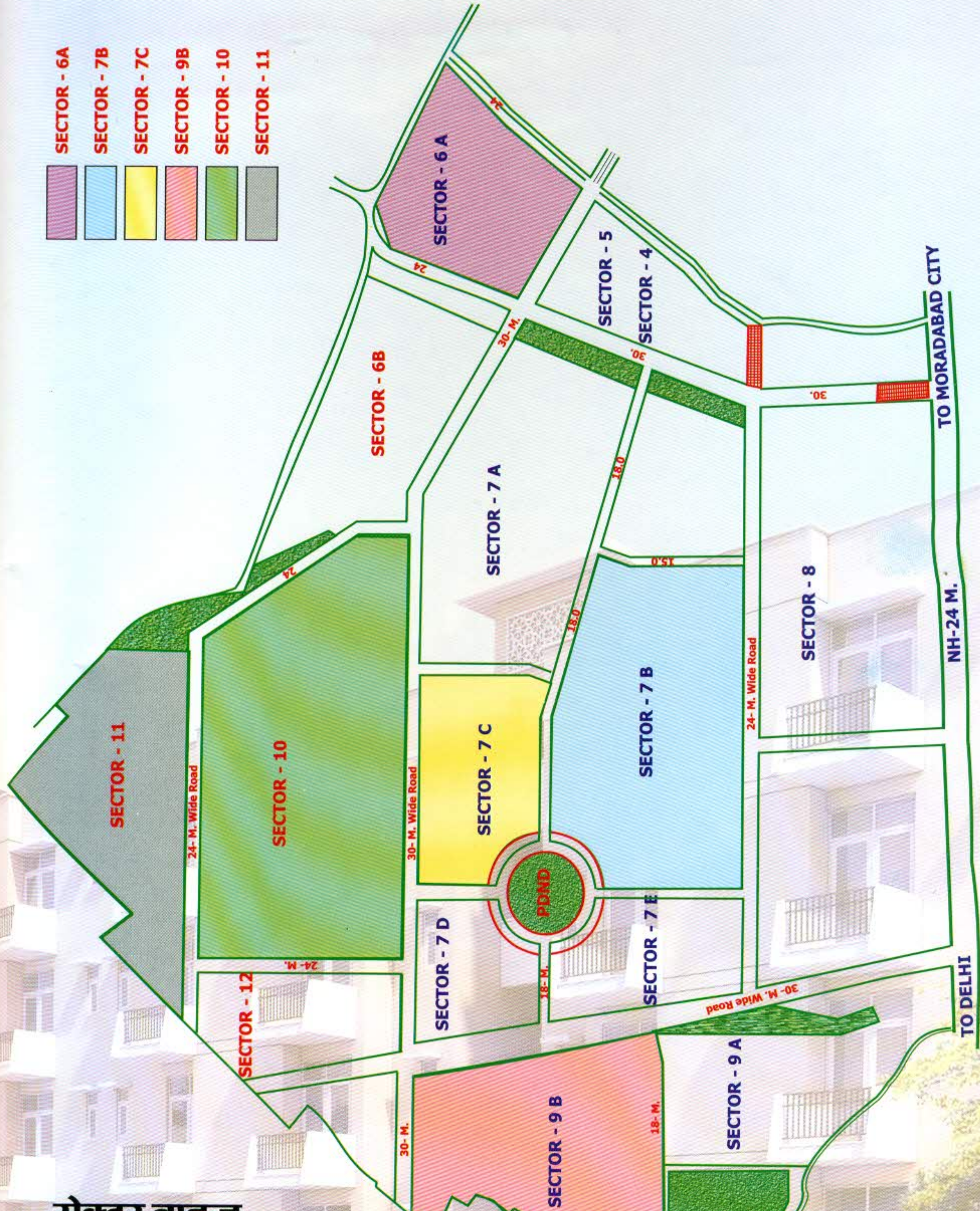

सेक्टर वाइज लोकेशन प्लान

मूल्य ₹ 300.00 (286.00+14.00 वै

IS 15700 : 2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

Website : http://www.upavp.com, E-mail:upavp@sancharnet.in

परिषद हेल्पलाइन नं0 : 1800–180–5333 (टोल फ्री)

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रात: 9.30 से सायं 6.00 बजे तक उपलब्ध है।